



सेवोत्तम अनुवर्ती

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सेवोत्तम प्रकोष्ठ

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001।

पत्र संख्या : 549/सेवोत्तम प्रकोष्ठ/2013

दिनांक : 01.04.2013

कार्यालय आदेश

प्रायः परिषद कार्यों के निष्पादन हेतु पटल सहायकों द्वारा अस्थाई पत्रावलियाँ खोल ली जाती है। जिसके फलस्वरूप वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

अतः परिषद कार्यहित में आदेश दिये जाते हैं कि अस्थाई पत्रावलियाँ खोलने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में, अस्थाई पत्रावली खोले जाने का औचित्य बताते हुये अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की लिखित अनुमति के उपरान्त ही अस्थाई पत्रावली प्रयोग की जा सकेगी।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

(रुद्र प्रताप सिंह)

सचिव एवं आवास आयुक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित -

1. समस्त अपर आवास आयुक्त, मुख्यालय।
2. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी।
3. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं निदेशक, ग्लोबल सेल/गुण नि० एवं परि०/एम०डी०सी०।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक/वास्तुविद नियोजक।
6. समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
7. आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव को उनके अवलोकनार्थ।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी।
9. कार्यालय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाइल।

सचिव एवं आवास आयुक्त